भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 354

04 फ़रवरी, 2025 को उत्तर के लिए नियत

"ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देना"

354. **डॉ. भोला सिंह**:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक-मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (ईएमपीएस 2024) के हिस्से के रूप में ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतियां शुरू की हैं;

(ख) उक्त क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रदान की जा रही वित्तीय और अवसंरचना सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीणा भारत में सार्वजनिक परिवहनों के विद्युतीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष पहल की गई है; और

(घ) जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उक्त उपायों का अपेक्षित प्रभाव क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक दुपहिया और तिपहिया को तेजी से अपनाने के लिए 01.04.2024 से 30.09.2024 तक छह महीने की अवधि के लिए 778.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को कार्यान्वित किया। यह स्कीम ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों सहित अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित की गई थी।

इसके अलावा, ईएमपीएस-2024 को देश में ईवी विनिर्माण पारिस्थिकी तंत्र की हरित गतिशीलता और विकास को और गति प्रदान करने के लिए 29.09.2024 को अधिसूचित 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम' में शामिल कर दिया गया है। यह स्कीम ग्रामीण और अल्पसेवित वाले क्षेत्रों सहित अखिल भारतीय आधार पर 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक दो वर्षों की अवधि में लागू की जा रही है और इसमें ईएमपीएस-2024 के परिव्यय सहित 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के निम्नलिखित तीन घटक हैं:

i. सब्सिडी: ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य नई उभरती इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणियों के लिए मांग प्रोत्साहन;
ii. पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान: ई-बसें, चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना और इस स्कीम के तहत पहचाने गए वाहन परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन; और
iii. आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियों और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के लिए शुल्क सहित स्कीम का प्रशासन।

(ग): जनता के लिए किफायती और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करने पर अधिक जोर देने के साथ, पीएम ई-ड्राइव स्कीम मुख्य रूप से सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों या ई-तिपहिया, ई-ट्रक और अन्य नई उभरती ईवी श्रेणियों में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत वाहनों पर लागू होती है। हालांकि, वाणिज्यिक उपयोग के अलावा, निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले और पंजीकृत ई-दुपहिया भी इस स्कीम के तहत पात्र हैं। इसके अलावा, इस स्कीम में 14,028 ई-बसों के रोल आउट के लिए 4,391 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, इस स्कीम में ईवी उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पर्याप्त सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपये की सहायता की परिकल्पना की गई है।

(घ): यह आशा की जाती है कि पीएम ई-ड्राइव स्कीम देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना और ईवी विनिर्माण पारिस्थिकी तंत्र के विकास के माध्यम से जीवाश्म ईंधन निर्भरता और कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी।

*****